कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1178 / 11–सी–FP/UP/Others/13877/2015, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 11 ,2019

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

विषय:– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 26.320 की दायीं पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0–537 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/Others/13877/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 40 / 2017 / एफ0सी0 / 46, दिनांक–17.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना / अभिलेख प्रस्ताव में आपने अपने पत्रांक–1662 / 14–1 दिनांक 06.12.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों / अभिलेखों का अभाव पाया गया है:–

1– भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0–4 के कम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन नहीं किया गया है।
2– भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0–6 व 7 के कम में 100 पौधों का प्राक्कलन 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित संलग्न करें व धनराशि ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर फीड करें।
3– उल्लंघन किये जाने पर बिन्दु सं0–(i) व(ii) के कम में परियोजना एस्सार ऑयल है, इसलिए 20% नहीं लागू होगा। अतः संशोधित दण्डात्मक गणना संलग्न करें।
4– H2-Case Compund नहीं किया गया है, अतः H2-Case Compund कर सत्यापित कराकर प्रस्ताव में संलग्न करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
इन्डेक्स सं0 1650/14-1
दिनांक 12/12/19

भवदीय

(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1178 / 11–सी FP/UP/Others/13877/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए–5, से0–3, नोएडा।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

आ0का0क0

वन संरक्षक
12/12/19

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1891 / 14–1 दिनांक:अलीगढ़,दिसम्बर 12 ,2019

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 04 प्रतियां तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से व 01 मूल प्रति इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।